प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका : डा. मिड्ढा

पक्षियों को आश्रय देने के लिए स्वर्ग आश्रम में बनाया इको फ्रेंडली बर्ड टावर, डिप्टी स्पीकर ने किया उद्घाटन

जयंतपुरी फाउंडेशन की अनूठी पहल, पक्षियों को मिलेगा सुरक्षित आशियाना

सवेरा न्यूज/नरेंद्र

जींद, 16 नवंबर : जयंती देवी मंदिर के पास से गुजर रही हांसी ब्रांच नहर के पास के बने स्वर्ग आश्रम में पक्षियों के लिए इको फ्रेंडली बर्ड टावर का सोमवार को हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डा. कृष्ण मिड्ढा ने उद्घाटन किया। यह टावर जयंतपुरी फाउंडेशन द्वारा बनाया गया है और यह जींद में पक्षियों को आश्रय देने के लिए अनूठी पहल है। इस टावर का उद्देश्य पक्षियों को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध करवाना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी स्पीकर डा. कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में पक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पक्षियों के संरक्षण के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझनी


बर्ड टावर का उद्घाटन करते हुए डिप्टी स्पीकर डॉ. कृष्ण मिड्ढा।

चाहिए। आधुनिक जीवनशैली और लगातार घटते पेड़ों के कारण पक्षियों के प्राकृतिक आवास कम होते जा रहे हैं।ऐसे में उनके लिए सुरक्षित आश्रय तैयार करना समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जयंतपुरी फाउंडेशन की ओर से शुरू की गई यह पहल सराहनीय है। उन्होंने लोगों से अपने घरों, छतों और सार्वजनिक स्थानों पर पक्षियों के लिए दाना-पानी रखने तथा अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया।जयंतपुरी फाउंडेशन अध्यक्ष सुरेंद्र धवन ने कहा कि फाउंडेशन द्वारा तैयार किया गया यह इको फ्रेंडली बर्ड टावर जींद में पक्षी संरक्षण की दिशा में कारगर साबित होगा। बर्ड टावर में पक्षियों के लिए दाना, पानी की स्थायी एवं बेहतर व्यवस्था विकसित की गई है ताकि गर्मी के मौसम में भी पक्षियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने कहा कि जयंतपुरी फाउंडेशन ने आने वाले दो से तीन सालों में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे 10 बर्ड टॉवर स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

जयंतपुरी फाउंडेशन चला रही है गौरैया चिडिय़ा बचाओ अभियान

जयंतपुरी फाउंडेशन जींद में गौरैया चिडिय़ा बचाओ अभियान भी चलाए हुए है। आधुनिकता की दौड में गौरैया चिडिय़ा की संख्या शहरों मे नाम मात्र ही रह गई है। इसी को ध्यान में रख कर जयंतपुरी फाउंडेशन द्वारा हर घर घौंसला अभियान के तहत घौंसलों को वितरित किया जाता है।

महिलाओं के जीवन में वरदान साबित हुआ जल जीवन मिशन : रणधीर मताना

सवेरा न्यूज/नरेंद्र

जींद, 16 नवंबर : जल जीवन मिशन ग्रामीण महिलाओं के जीवन में वरदान साबित हुआ है जिसके कारण उनके जीवनयापन में काफी सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। यह बात जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जींद के जिला सलाहकार रणधीर मताना ने झांज कलां के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जल जीवन मिशन 2.0 को लेकर आयोजित कहानी लेखन प्रतियोगिता विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए कही। इस मौके पर प्रिंसिपल विनीता गुप्ता, अध्यापक सुरेश कुमार व खंड समन्वयक दिनेश कुमार सहित स्कूल स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित रहे। दूसरी तरफ बिघाना में ईश्वर सिंह, पिल्लुखंडा में सुरेन्द्र दुग्गल, उचाना में कुशल शर्मा, सफीदों में बलवान सिंह व नरवाना के ब्लाक में सुरेन्द्र कुमार ने स्कूलों में कहानी लेखन प्रतियोगिता को आयोजन करवाया।रणधीर मताना ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत विभाग द्वारा प्रत्येक घर में नल से जल पहुचानें का कार्य किया गया हैं। विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर शुद्ध पेयजल समय पर पहुचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा हैं। 15 अगस्त 2019 को शुरू हुई महत्वाकांशी योजना जल जीवन मिशन के दुसरे


विजेता छात्राओं को सम्मानित करते हुए कार्यक्रम के आयोजक।

भाग 2.0 में युवाओं, महिलाओं व विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कहानी लेखन प्रतियोगिता करवाई जा रही है। रणधीर मताना ने बताया की कहानी लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रही 10वीं कक्षा की छात्रा काफी पुत्री नरेश कुमार ने अपनी कहानी में जल जीवन मिशन 2.0 से महिलाओं के जीवन में हुए परिवर्तन और उनकी उन्नति के बारे में वर्णन किया है मताना ने बताया की दूसरी तरफ बिघाना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में 12वीं कक्षा की छात्रा मुस्कान पुत्री सूबे सिंह प्रथम स्थान, काफी पुत्री सुरेश कुमार दूसरे स्थान पर, माफी पुत्री राजेश व रिया पुत्री रामजुवारी तीसरे स्थान पर रही। सभी स्कूलों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

PUBLIC NOTICE

I, **Nikhil Jain S/o Dushyant Kumar Jain**, R/o **Present Address:** H. No: T6/805 Street: 8th Floor, Park View Residency Colony, Sector-3, Palam Vihar District: GURUGRAM HARYANA, PIN: - 122001 And **Permanent Address:** H.No: C-1/51 Street: Safdarjung Development Area Colony: Hauz Khas District: SOUTH DELHI PIN: 110016 INDIA, hereby inform that I have **Lost Conveyance Deed Page No. 10 to 23, Regn. No. Deed No. 36781 dated 29.03.2011 of the Flat No. T6-805, 8th Floor, Bestech Park View Residency, Palam Vihar, Gurgaon on the name of Mrs. Saroj Jetik W/o Mr. Shakti Kumar Jetik, dated 10/11/2026,** I tried a lot to trace it but could not find it. If anyone finds it, please return **contact: Nikhil Jain, Mobile: 7838648880**
Complainant's Details: HARYANA POLICE CITIZEN SERVICES, LOST PROPERTY REPORT, Application Number: 13227080260 1520, Date: 20/01/2026.

सार्वजनिक सूचना

मैं, श्री/श्रीमती **PARV SHARMA** पुत्र/पुत्री/पत्नी **LATE SH. SURINDER LAL SHARMA** आवेदन संख्या **136312** के अंतर्गत रोहिणी रेजिडेंशियल स्कीम, 1981 का पंजीकृत आवेदक/आवंटी/भूटी हूँ।
मेरे द्वारा जमा की गई **एफडीआर संख्या 25657** दिनांक **20.03.1981 राशि रु. 750/- गुम/खो गई है। इस संबंध में:-**
1. थाना Subzi Mandi, North Delhi, Delhi में **एनसीआर/एफआईआर/गुमशुदगी रिपोर्ट संख्या 1451/2013** दिनांक **27.07.2013** दर्ज कराई गई है।
2. उक्त एफडीआर के संबंध में **इंडेम्निटी बॉन्ड** भी निष्पादित किया गया है।
यदि किसी व्यक्ति को उक्त **एफडीआर** प्राप्त हो अथवा किसी प्रकार का दावा/आपत्ति हो तो वह इस सूचना के प्रकाशन से **15 दिवस** के भीतर अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करे।
पता: B-302, YOJANA VIHAR, DELHI-110092
मोबाइल नंबर: 9953121772

सार्वजनिक सूचना

मैं हम, **SH. PIAR SINGH S/o LATE SH. PARSHOTAM SINGH AND SMT. SARLA THAKUR W/O SH. PIAR SINGH, both resident of D-16, NANGAL DEVAT, VASANT KUNJ, NEW DELHI-110070** आवेदन संख्या **226177** के अंतर्गत रोहिणी रेजिडेंशियल स्कीम, 1981 का पंजीकृत आवेदक/आवंटी/भूटी हूँ।
मेरे द्वारा जमा की गई एफडीआर संख्या 13166 दिनांक 11/04/1981 राशि रु. 750/- गुम/खो गई है। **इस संबंध में:-** 1. थाना **Pahar Ganj, New Delhi** में एनसीआर/एफआईआर/गुमशुदगी रिपोर्ट संख्या **557348/2026** दिनांक **21.08.2026** दर्ज कराई गई है।
2. उक्त एफडीआर के संबंध में **इंडेम्निटी बॉन्ड** भी निष्पादित किया गया है।
यदि किसी व्यक्ति को उक्त एफडीआर प्राप्त हो अथवा किसी प्रकार का दावा/आपत्ति हो तो वह इस सूचना के प्रकाशन से **15 दिवस** के भीतर अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करे।
पता: D-16, NANGAL DEVAT, VASANT KUNJ, NEW DELHI-110070. मोबाइल नंबर: 7838750368

Change of Name

I, Sumanjit Kaur, residing at 57A–57B Tettenhall Road, Wolverhampton, WV3 9NB, have changed my name to Suman Dhillon and shall hereafter be known as Suman Dhillon for all purposes.

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवक्किल श्रीमती सीमा पानी श्री दीपक भाटी, आवासीय मकान/भूखंड, क्षेत्रफल 598.91 वर्ग गज अर्थात 500.5 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 35, 36 एवं 37, स्थित ग्राम ऐनगवां, परगना एवं तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.) की स्वामिनी हैं। उक्त संपत्ति श्री दीपक भाटी द्वारा निष्पादित पंजीकृत विक्रय/दान विलेख दिनांक 12.11.2026 के माध्यम से हस्तांतरित की गई है, जो उप-पंजीयक कार्यालय दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र. में पंजीकरण संख्या 648 के अंतर्गत पंजीकृत है। उक्त संपत्ति को चेक बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में बंधक रखा जाना प्रस्तावित है। अतः किसी भी व्यक्ति, बैंक अथवा वित्तीय संस्था का उक्त संपत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार का दावा, अधिकार, हित, ऋणभार, हक़शफ़ीकार अथवा कोई अन्य आपत्ति हो, तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के भीतर अपने दावे/आपत्ति के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजों सहित पंजीकृत डाक (ए.डी.) द्वारा अधोहस्ताक्षरी/अधिवक्ता विशाल मेहरा, ई-713, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली-110092 के पते पर सूचित करे। निर्धारित अवधि में कोई दावा अथवा आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि संबंधित व्यक्ति ने उक्त संपत्ति के संबंध में अपने सभी दावों, अधिकारों, हक़शफ़ीकार एवं आपत्तियों का परित्याग कर दिया है। **एडवोकेट विशाल मेहरा**, ई-713, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली-110092. मोबाइल नं. 9811215181

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री जगन सिंह की ओर से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि 300 वर्ग गज भूमि के भूखण्ड, जो खसरा नं. 962/1 का भाग है तथा विस्तारित जाट होल, ग्राम डेरा मंडी, तहसील महरौली, नई दिल्ली में स्थित है, से संबंधित भूमि विक्रय विलेख दिनांक 14.03.2022, दस्तावेज संख्या 13665 दिनांक 01.11.2026 को सब-रजिस्ट्रार, दिल्ली के न्यायालय कहीं खो गया है अथवा चुरा ली गया है। उक्त दस्तावेज के चुरा होने की रिपोर्ट एस.एच.ओ. संख्या 801169/2026 दिनांक 16.11.2026 को थाना सब-रजिस्ट्रार, दिल्ली में दर्ज कराई गई है। यह कि श्री ओम प्रकाश उक्त संपत्ति के स्वामी विक्रय विलेख दिनांक 15.11.2022, दस्तावेज संख्या 10344 के माध्यम से खरीदे हैं। एतद्द्वारा सार्वजनिकरण को सूचित किया जाता है कि श्री ओम प्रकाश उक्त संपत्ति को AU Small Finance Bank Ltd के पास बंधक रखना चाहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को उक्त मूलपत्र दस्तावेज के विषय अथवा उसके संबंध में कोई जानकारी, दावा या हक़ हो अथवा उक्त संपत्ति पर किसी भी प्रकार का कोई दावा, अधिकार, स्वामित्व या हित हो, तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से **07 दिनों** के भीतर निम्नांकित पते पर **श्री कौशल कुमार शर्मा (अधिवक्ता)**, फ्लैट नं. 106, टावर ए-1, भगत सिंगी, गाजियाबाद को सूचित करें।
कौशल कुमार शर्मा, अधिवक्ता, मोबाइल- 9717212486

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given to the general public and all concerned that Mr. Alok Narang S/o. Late Shri Ravinder Nath Narang R/o. B-7/10, Safdarjung Enclave, New Delhi -110029 and the company M/s. ALPS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED having PAN No. AAACA9584E and office at D1 Green Park, New Delhi - 110 016 have voluntarily retired as partners from the partnership firm ALPS INTERNATIONAL TECHNOLOGIES having its principal place of business at Ashirwad Complex, D-1 Green Park, New Delhi - 110 016 w.e.f 06-NOVEMBER-2026. It is hereby further notified that the respective accounts and capital account balance of both the retiring partners has been fully settled, cleared and paid. Accordingly, with effect from 06th November 2026, both the aforesaid PARTNERS stand retired from the FIRM, voluntarily and by mutual consent of all the partners, and thus they cease to have any rights, title, interest, claim or concern in the business, assets, properties, profits, goodwill and affairs of the FIRM. The Firm shall continue its business under the same name and style, through its continuing partners along with the newly admitted incoming partners. This notice is issued for the information of the general public and all concerned.

Signed at New Delhi by :
Anup Narang & Usha Narang
(continuing Partners -
ALPS International Technologies)

PUBLIC NOTICE

Be It Known that my client VINOD KUMAR S/o BALBIR SINGH, Presently R/o House No. C-2/135, Vijay Enclave, District Court Complex, Dwarka , Dabri, South West Delhi -110045, Permanent R/o 2, Tikola, Village Tikola, Tikola (16), Jainpur, Dist: Sonipat, Haryana -131027, have disowned and severed all his relation with her daughter namely ANISHA debarred them from his movable and immovable properties/assets due to their mis-behaviour. Any body dealing with them in civil and criminal matter shall be doing at his/her/their own risk, cost and responsibility.
KAMAL SINGH (Advocate)
Enrl.No.D/748/2014

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, **अनिल कुमार** पोरवाल पुत्र स्व. श्री प्रेम चंद, निवासी प्लॉट नंबर-20, जी ब्लॉक, गली नंबर-16, राजापुरी, उत्तम नगर वेस्ट, नई दिल्ली-110059, एतद् द्वारा अपने पुत्र **सात्यम उर्फ मोहित गुप्ता** को उसके दुर्व्यवहार के कारण अपनी सम्पत्त चल एवं अचल संपत्ति से बेदखल करता हूँ तथा उसको अपने सभी प्रकार के संबंध समाप्त करता हूँ। इसके अतिरिक्त, मैं यह भी स्पष्ट करता हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति मेरे पुत्र **सात्यम उर्फ मोहित गुप्ता** के साथ किसी भी प्रकार का लेन-देन, आर्थिक व्यवहार या अन्य कोई संबंध स्थापित करता है, तो वह ऐसा अपने जोखिम एवं जिम्मेदारी पर करेगा। इस संबंध में होने वाले किसी भी कार्य या लेन-देन के लिए मैं किसी भी प्रकार से जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं रहूँगा/रहूँगी।

PUBLIC NOTICE

My Clients Ram Saroop S/o Sh. Sunji Lal and Smt. Geeta W/o Sh. Ram Saroop Both R/o B-134, T-Huts, Meera Bagh, Paschim Vihar, West Delhi, Delhi-110063, has severed all relations with his son namely Mohit further disinherited them from all their moveable and immoveable properties henceforth. My clients shall have no concern with them. Anybody dealing with them in connection of any property and any transaction otherwise may do so at his/her own risk and peril and my clients shall in no way be responsible for the same in any manner whatsoever.
S.K. PANDEY
(ADVOCATE & LEGAL CONSULTANT)
HIGH COURT OF DELHI & SUPREME COURT OF INDIA Ch. No. 556, Western Wing, Tis Hazari Court, Delhi-110054

Public Notice

मैं, राजीव कुमार, आर्मी नंबर 15486790F, पूर्व हवलदार, पुत्र श्री मामचंद सिंह, निवासी ग्राम धनीरा (टिकरी), तहसील बड़ौत, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश, यह घोषणा करता हूँ कि मेरे सेना अभिलेखों (Army Records) में मेरी पुत्री का नाम नेशा वैदवान (NESHA VAIDWAN) गलत दर्ज है, जबकि उसका सही नाम नेहा वैदवान (NEHA VAIDWAN) है, जो कि उसके आधार कार्ड एवं हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में भी अंकित है। मैं यह भी घोषित करता हूँ कि नेशा वैदवान (NESHA VAIDWAN) एवं नेहा वैदवान (NEHA VAIDWAN) दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

सार्वजनिक सूचना

हमारे मुवक्किल श्री पुष्पा देवी पत्नी स्वर्गीय सुरेश चन्द व उन का परिवार निवासी मकान नं. 142, कटरा माली वरा, मलका गंज रोड, सब्जी मंडी, दिल्ली-110007, की निवासी हैं। उन्होंने अपने पुत्र श्री आकाश पुत्र श्री सुरेश चन्द, द्वारा अपमान जनक और अभद्र व्यवहार के कारण इस को अपनी समस्त चल और अचल संपत्ति से पूर्णतया बेदखल और अपने सारे सम्बन्ध विच्छेद करते हैं। यदि कोई उस से मेरे मुवक्किल की किसी भी संपत्ति के बाबत कोई व्यवहार या लेन-देन करता है तो उसका वह व्यक्ति स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा। मेरे मुवक्किल ऐसे किसी लेन देन के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।'
अधिवक्ता (मनोज आर्य)

PUBLIC NOTICE

My client, SMT. JAI MANTI DEVI, (Bearing Adhar no 4937 6475 7978) W/o Late Sh. Mantu Prasad, R/o C-155/A, Rajpur Khurd, New Delhi 110068, hereby declares that she has disowned and disinherited her son, SH. AMIT KUMAR, and his wife, SMT. PRATIBHA KUMARI, from her self-acquired movable and immovable properties, to the extent permissible under law, and has severed all social and personal relations with them due to their conduct.
They have no authority to act or transact on her behalf, and she shall not be responsible for any acts, transactions, debts or liabilities incurred by them. Any permission granted to them to occupy the property bearing No. C-155/A, Rajpur Khurd, New Delhi 110068, stands withdrawn, and they are called upon to vacate the same in accordance with law. The general public is hereby cautioned not to deal with them in respect of her properties or affairs, and my client shall not be responsible for any such dealings.
SHIVAM PANDEY ADVOCATE
Chamber No. 624-B, Lawyers Block, Saket Court Complex, New Delhi - 110017

सार्वजनिक नोटिस

सर्वसाधारण को इस माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती ममता पन्नी श्री प्रदीप मकान संख्या 1020, क्षेत्रफल 145.43 वर्ग गज अर्थात 121.59 वर्ग मीटर, विमल आवादी ग्राम उजरासरसी, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की स्वामिनी एवं कब्जाधारी हैं।
उक्त संपत्ति श्रीमती सुरेश पन्नी श्री जयप्रकाश से प्राप्त की गई है, जो उक्त संपत्ति में अपने अधिकार, स्वत्व एवं हित का दावा दिनांक 25.07.2018 के दान विलेख, पंजीकृत दानपत्र संख्या 8978, जो श्रीमती सुरेश पन्नी श्री जयप्रकाश द्वारा निष्पादित किया गया था, के आधार पर करती हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त संपत्ति श्रीमती सुरेश पन्नी श्री जयप्रकाश सिंह के नाम पर दर्ज थी, जैसा कि नगर पालिका परिषद, मुरादनगर द्वारा जारी वर्ष 2016-2017 के मूल्यांकन रजिस्टर से परिलक्षित होता है। इससे पूर्व, उक्त संपत्ति श्री जयप्रकाश सिंह पुत्र श्री नवाब सिंह के नाम पर दर्ज थी, जैसा कि वर्ष 2009-2010 से 2013-2014 तथा वर्ष 2014-2015 से 2015-2016 के मूल्यांकन रजिस्टरों से परिलक्षित होता है। श्री जयप्रकाश सिंह ने उक्त संपत्ति अपने पिता स्वर्गीय श्री नवाब सिंह पुत्र श्री कटम सिंह के निधन के उपरांत प्राप्त की थी। उक्त संपत्ति की सीमाएँ निम्नानुसार हैं: पूर्व: ब्रह्मपाल सिंह का मकान, पश्चिम: चमन सिंह का मकान, उत्तर: किरणपाल का मकान एवं 4 फुट 6 इंच चौड़ा रास्ता दक्षिण: 11 फुट चौड़ा रास्ता। उक्त संपत्ति को ऋण सुविधा की प्रतिभूति के रूप में नियंत्रण हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में बंधक रखा जाना प्रस्तावित है।
उक्त संपत्ति के संबंध में यदि किसी व्यक्ति का कोई दावा, अधिकार, स्वामित्व, हित या आपत्ति हो, तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 7 (सात) दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप में सूचित करे। अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि उक्त संपत्ति पर किसी का कोई दावा या आपत्ति नहीं है।
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
एनसीआर लॉ एसोसिएट्स एडवोकेट्स एंड कंसल्टेंट्स
A-98, Sector-9, New Vijay Nagar, Ghaziabad
Mob. Nos. 9999721152/9999826427

सार्वजनिक नोटिस

सर्वसाधारण जनता को इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि श्रीमती माया विष्टानिया पत्नी श्री महेश चन्द विष्टानिया, प्रथम तल, बिना छत के अधिकार सहित, सम्पत्ति संख्या 136/6A, क्षेत्रफल 30 वर्ग गज, स्थित ग्राम सिंघोरा खुर्द, आबादी गली नं. 05, थाना सिंह नगर, आनंद पर्वत, दिल्ली-110005, को श्रीमती अनु पत्नी श्री दिलीप कुमार से क्रय करने की इच्छुक हैं।
यह कि श्रीमती अनु पत्नी श्री दिलीप कुमार ने उक्त सम्पत्ति को श्री दिलीन्द्र खण्डेलवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द, जो कि श्री पंकज कुमार पुत्र श्री दास नारायण के जी.पी.ए. धारक के रूप में कार्य कर रहे थे, द्वारा निष्पादित नोटरीकृत सामान्य मुख्तारनामा, इकरारनामा विक्रय एवं वसीयतनामा, सभी दिनांक 06.08.2024 के माध्यम से प्राप्त किया है। आगे यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति को वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु शुभम हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के पक्ष में बंधक रखा जाना प्रस्तावित है। सर्वसाधारण को यह भी सूचित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री पन्ना लाल पुत्र श्री मिलखी राम एवं स्वर्गीय श्रीमती मोतिया रानी पत्नी श्री पन्ना लाल के उत्तराधिकारी सदस्य प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं हैं तथा विक्रेता के पास वर्तमान में उक्त प्रमाण-पत्रों का कोई पता/रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को कोई दावा या आपत्ति है, तो उसे 7 दिनों के भीतर लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी को सूचित करना होगा। अन्यथा, यह मान लिया जाएगा कि कोई आपत्ति नहीं है।
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
एनसीआर लॉ एसोसिएट्स एडवोकेट्स एंड कंसल्टेंट्स
A-98, Sector-9, New Vijay Nagar, Ghaziabad

युवती का यौन शोषण करने पर पूर्व मंगेतर पर मामला दर्ज

अश्लील वीडियो तथा फोटो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का आरोप

सवेरा न्यूज/नरेंद्र

जींद, 16 नवंबर : महिला थाना पुलिस ने रिश्ता तय होने के बाद युवती का यौन शोषण करने तथा रिश्ता टूटने पर युवती पर अश्लील वीडियो तथा फोटो से ब्लैकमेल करने पर एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म करने समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।जुलाना थाना इलाके की एक युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि कुछ समय पूर्व उसका रिश्ता गांव घोघडिया निवासी सतीश के साथ तय हुआ था। जिसके बाद उनकी आपस में बाते होने लगी। सतीश उसे बातचीत के बहाने अपने साथ ले गया और उसकी मर्जी के खिलाफ दुष्कर्म किया। आरोपित ने उसकी अश्लील वीडियो तथा फोटो भी बना ली। किसी कारणवश उनका रिश्ता टूट गया। आरोपित सतीश ने अश्लील वीडियो तथा वायरल करने धमकी देकर उसका यौन शोषण करना शुरू कर दिया। जब भी वह आरोपित की बात मानने से इनकार करती तो आरोपित वीडियो तथा फोटो सार्वजनिक करने की धमकी देता। महिला थाना पुलिस ने पीडिता की शिकायत पर आरोपित सतीश के खिलाफ दुष्कर्म करने, धमकी देने समेत विभिन्न भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोमवार को जानकारी देते हुए महिला थाना प्रभारी पूजा ने बताया कि पीड़ति ने आरोप लगाते हुए शिकायत दी थी। फिलहाल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व में बनाई नई पहचान : डा. कृष्ण मिड्ढा


मंच पर युवाओं को जॉब ऑफर लेटर देते हुए।

सवेरा न्यूज/नरेंद्र जींद, 16 नवंबर : हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डा. कृष्ण लाल मिड्ढा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी सोच, अथक मेहनत और मजबूत इच्छाशक्ति के परिणामस्वरूप भारत ने विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान स्थापित की है। वर्ष 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली थी, उस समय भारत विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में 14वें स्थान पर था। जबकि आज भारत विश्व की चैथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। यह देश की बढ़ती आर्थिक ताकत, आत्मविश्वास और सामथ्र्य का प्रमाण है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और इस लक्ष्य की प्राप्ति में देश के युवाओं की भूमिका निर्णायक होगी।डिप्टी स्पीकर डा. कृष्ण लाल मिड्ढा सोमवार को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में जिला रोजगार कार्यालय एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मेगा जॉब फेयर में बतौर मुख्यअतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज भारत केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नही बल्कि रक्षा, तकनीक, विज्ञान और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में भी लगातार नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। भारतीय सेना देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के साथ-साथ दुश्मन की किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। आज भारत की ओर कोई भी देश आंख उठा कर देखने का साहस नही कर सकता। विश्व में भारत का मान-सम्मान और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब देश का युवा शिक्षितए कुशलए आत्मनिर्भर और रोजगार के बेहतर अवसरों से जुड़ा होगा। युवाओं को केवल नौकरी की तलाश तक सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि अपने हुनर, तकनीकी दक्षता और कार्यक्षमता को लगातार बढ़ाते हुए देश की प्रगति में भागीदार बनना चाहिए। मेगा जॉब फेयर में करीब 2500 युवाओं ने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से पंजीकरण करवाया।

पुणे महानगरपालिका, पुणे
निविदा प्रकिया कक्ष पथ विभाग

निविदा जाहिरात - नविन काने

विक्री कालावधी दिनांक : १७-११-२०२६ ते ११-१२-२०२६ ०२:३० दुपारी पर्यंत
स्वीकृती दिनांक :- १७-११-२०२६ ते ११-१२-२०२६ ०२:३० दुपारी पर्यंत तांत्रिक निविदा उघडणे प्रक्रिया दिनांक: १४-१२-२०२६ ३:०० दुपारी

निविदा क्रमांक	खात्याचे नाव	कामाचे नाव	निविदा संच किंमत रु.	अंदाजित पूर्व गणित रक्कम रु.	बयाणा रक्कम रु.	कामाची मुदत (महिने)	निविदा विषयक जबाबदार व्यक्तीचे नाव व दूरध्वनी क्रमांक
PMC/ROAD/2026/316	पथ	प्र.क्र.३२ ड मधील शिंदे पूल पासून पुढे कॅनॉल रस्ता १२०० मिमी लाईन संपूर्ण इस्टूमेंट काढून उपलब्ध तरतुदीनुसार टाकून रस्ता विकसित करणे	रु. १७८७९/-	रु. ७९४१३ २६४/-	रु. ३९७०६६/-	१२	सीमा सोळंके ७४४७४७२४०५
PMC/ROAD/2026/317	पथ	रजपूत झोपडपट्टी ते सृष्टी लॉन्स येथील ३६ मी.डी.पी रस्ता विकसित करणे	रु. १७८७९/-	रु. ४३३१० ८२३/-	रु. २१६५५४/-	१२	सीमा सोळंके ७४४७४७२४०५

अ) सदर कामाबाबत निविदा अटी/शर्ती इ. बाबतचा सर्व तपशील निविदा संचामध्ये नमूद केला असून सदर कामाचे निविदा www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर पाहण्यासाठी उपलब्ध आहे. निविदा संचाची विक्री व स्वीकृत सदर वेबसाईटवरून फक्त ऑनलाईन पध्दतीने करण्यात येत असून सर्व निविदा दोन पाकीट पध्दतीने मागविण्यात येत आहेत.
ब) निविदा प्रक्रियाच्या शेवटच्या दिवशी संच प्राप्त न झाल्यास व स्वीकृतीच्या शेवटच्या दिवशी ऑनलाईन सादरीकरण न झाल्यास याची सर्वस्व जबाबदारी टेंडरदाराची राहील.
क) ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया बाबतची संपूर्ण माहिती टेंडर सेल विभाग पुणे म.न.पा. येथे मिळेल.
ड) कार्यालयीन आदेश क्र. अतिमआ (वि) /३२ दिनांक २२/०४/२०१६ नुसार बयाना रक्कम इ.सी.एस./आर.टी.जी.एस./एन.एफ.टी सुविधेमार्फतच स्वीकारनेत येणार आहे.
जाहिरात क्र. ३/११२६ दि. १६/११/२६
कार्यकारी अभियंता पथ पुणे महानगरपालिका

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
रीजनल ऑफिस, शिमला :- फर्स्ट फ्लोर, डोगरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स (संकेत हाइट्स), एप्पल मंडी के पास, भट्ठाकुफर, संजौली, शिमला, हि.प्र. - 171006
ई-नीलामी बिक्री सूचना
डिटेल्ड टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए यहां स्कैन करें

ANNEXURE-E
चल संपत्ति/संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना
[चल/अचल संपत्ति के लिए नियम 6(2) तथा 8(6) के साथ परिशिष्ट-II A]
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत चल/अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) तथा 8(6) के प्रावधान के साथ पठित।
आम जनता और खास तौर पर कर्जदार(रें), मार्टगेजर(रें) और गारंटर(रें), को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे बताई गई चल/अचल प्रॉपर्टी/प्रॉपर्टीज जो सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास हाइपोथेकेटेड/मॉर्टगेज्ड/चार्ज्ड हैं, और जिनका कब्जा बैंक ऑफ़ बड़ौदा, सिक्योर्ड क्रेडिटर के ऑथराइज्ड ऑफिसर ने ले लिया है, उन्हें नीचे बताए गए अकाउंट/अकाउंट्स में बकाया रकम की रिकवरी के लिए "जैसे है जहां है", "जैसे है जो है" और "जहां है" बेसिस पर बेचा जाएगा। पहचाने गए किसी भी बकाया की लायबिलिटी खरीदार पर होगी, बैंकर पर नहीं। कर्जदार(रें), मार्टगेजर(रें) और गारंटर(रें), सिक्योर्ड एसेट/बकाया/रिजर्व प्राइस/ई-ऑक्